2015 का विधेयक संख्यांक 20

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

# हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015

#### खण्डों का क्रम

खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा 2 का संशोधन।
- 3. 2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

### हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुए कर संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास—वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और संक्षिप्त नाम आवास गृह) विलास—वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2015 है।
  - (2) यह 06 अगस्त, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- 2. हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास—वस्तुएं कर धारा 2 का अधिनियम, 1979 की धारा 2 में, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) राशोधन। (2014 का विलास—वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड अधिनियम (छछ) 6 अगस्त, 2013 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।
  - 3. (1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास—वस्तुएं कर <sup>2015 के</sup> हिमाचल प्रदेश, 2015 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

    अध्यादेश, अध्यादेश
  - (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के साख्यां 2 अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी और उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

मन्त्री (आवेक्सरी एवं कराधान) हिभाचल प्रदेश

5

10

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 के अधीन राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने और कर का व्यवन रोकने के आशय से हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2013 (2014 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 2 के खण्ड (छछ) के अधीन पद "प्राप्ति" की परिभाषा 06 अगस्त, 2013 से प्रतिस्थापित की गई थी। पणधारियों की यह माँग थी कि पद "प्राप्ति" की परिभाषा को इसकी पूर्ववर्ती अवस्थिति में प्रत्यावर्तित किया जाए। पणधारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् पद "प्राप्ति" की परिभाषा को इसकी मल अवस्थिति में प्रत्यावर्तित करने का विनिश्चय किया गया था। तदनुसार इसे हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 13) द्वारा इसकी पूर्ववर्ती अवस्थिति में भविष्यलक्षी रूप से प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। इसके परिणास्वरूप, तारीख 06-08-2013 से 02-04-2014 के बीच की मध्यवर्ती अवधि के लिए विलास-वस्तू कर, 2014 के अधिनियम संख्यांक 1 के अनुसार उद्गृहीत किया जाना था, किन्तू पद "प्राप्ति" की परिभाषा को तत्पश्चात् 2014 के अधिनियम संख्यांक 13 द्वारा इसकी पूर्ववर्ती अवस्थिति में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था जिसे राजपत्र में तारीख 3-4-2014 को प्रकाशित किया गया था। इसलिए हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तूएं कर संशोधन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 2 को भूतलक्षी प्रभाव देने के आशय से 06 अगस्त, 2013 से भूतलक्षी प्रभाव से अध्यादेश प्रख्यापित करने का विनिश्चय किया गया था।

विधान सभा सत्र में नहीं थी तथा हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास—वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास—वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2) 24—06—2015 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र में तारीख 30—6—2015 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

मन्त्री (आवकार) एवं कराधान) बहुमाचल प्रदेश (प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : 🔏 5 / 0.8 / ..., 2015

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

## हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास—वस्तुए कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

319 93110 /6

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री।

मन्त्री (आबकारी पूर्व करायान)

(डॉo बलदेव सिंह) सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : 25/08 / 2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात, विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) से (छ) XXX XXX XXX XXX

(छछ) "प्राप्ति" से होटल में उपलब्ध करवाई गई किसी विलास-वस्तु के लिए, सरकार द्वारा नियत या स्वत्वधारी द्वारा प्राप्त प्रभारों की रकम जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है;।

#### AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 20 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2015

(As Introduced in the Legislative Assembly)

# THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2015

#### ARRANGEMENT OF CLAUSES

#### Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of section 2.
- 3. Repeal of H.P. Ordinance No. 2 of 2015 and savings.

### THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2015

(As Introduced in the Legislative Assembly)

#### BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No.15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Shorttitle Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2015.

commence-

- (2) It shall be deemed to have come into force on 6th August, 2013.
- In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Amendment Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, clause (gg) as substituted by the of section 2 Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2014 shall be deemed to have been substituted with (Act No. 13 of 2014).. effect from 6th day of August, 2013.

3. (1) The Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Repeal of Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2015 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

HP Ordinance No.2 of .2015 and

15

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure revenue growth and to prevent leakage of tax under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, the definition of expression "receipt" was substituted under clause (gg) of section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2013 (Act No. 1 of 2014) from 6th August, 2013. There was demand from the stakeholders that the definition of expression "receipt" may be restored to its prior position. After detailed discussions with the stakeholders, it was decided to restore the definition of expression "receipt" to its original position. Accordingly, the same was restored to its prior position vide the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2014 (Act No. 13 of 2014) prospectively. As a result of this, the luxury tax for intervening period between 06-08-2013 to 02-04-2014 was to be levied as per Act No. 1 of 2014, but the definition of expression "receipt" was subsequently restored to its prior position vide Act No. 13 of 2014 which was published in Official Gazette on 03-04-2014. Thus, in order to give retrospective effect to section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2014 (Act No. 13 of 2014), it was decided to promulgate the Ordinance with retrospective effect from 6th August, 2013.

Since, the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2015 (H.P. Ordinance No. 2 of 2015) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor of Himachal Pradesh on 24-06-2015 which was published in the Official Gazette on 30-06-2015. Now, the Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

SHIMLA: The. 25./0.8./..., 2015

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

# THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2015

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

AUTHENTICATED

(PRAKASH CHAUDHARY)

中国 [1] [1]

Minister-in-Charge.

(Dr. BALDEV SINGH)

Secretary (Law).

SHIMLA:

The...2.5/08./..,2015.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1979 (ACT NO. 15 OF 1979) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

#### Section:

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) to (g) XXX XXX XXX XXX

(gg) "receipt" means the amount of charges fixed by the Government or received by the proprietor whichever is higher for any luxury provided in a hotel;